BULANDSHAHR POLICE

दिनांक 14 अगस्त, 2024

"ऑपरेशन कन्विक्शन"अभियान के क्रम में बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने के आरोपी को सश्रम आजीवन कारावास व 54,000/- रुपये के अर्थदण्ड की सजा दिलवायी गयी:-

अवगत कराना है कि अमित राघव पुत्र सुरेन्द्र निवासी ग्राम पूठरी कला थाना अहमदगढ जनपद बुलन्दशहर द्वारा वर्ष-2023 में थाना कोतवाली देहात क्षेत्र निवासी एक लड़की के साथ शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने की दुस्साहसिक घटना कारित की गयी थी जिसके सम्बन्ध में दिनांक 08.04.2023 को थाना कोतवाली देहात पर मुअसं - 198/2023 धारा 376,506 भादवि व 3(2)5 एससी/एसटी एक्ट पंजीकृत किया गया तथा दिनांक 18.05.2023 को पुलिस द्वारा मा0 न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान "ऑपरेशन कन्विक्शन"के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए मॉनीटरिंग सैल बुलन्दशहर द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई जिसमें अभियुक्त के विरुद्ध 05 गवाह परिक्षित हुए जिसके परिणामस्वरुप **आज दिनांक 14.08.2024 को न्यायाधीश श्री विवेक कुमार (मा0 न्यायालय एडीजे एससी/एसटी एक्ट जनपद बुलन्दशहर) द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त अमित राघव को सश्रम आजीवन कारावास व 54,000/- रुपये के अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया।** अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले अभियोजक श्री विपुल कुमार राघव व श्री रश्मि सोलंकी का योगदान सराहनीय रहा है। प्रभावी पैरवी कर अभियुक्त को सजा दिलाना बुलन्दशहर पुलिस की बड़ी सफलता है।

मीडिया सैल बुलन्दशहर।